

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :-

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल,
आर.ए.एस.

संख्या :- 42/2018

शेरसिंह पुत्र जयनारायण , जाति खाती, निवासी खातीपुरा (रंवा), तहसील खेतड़ी, जिला झुन्झुनू।
-अपीलांत

-बनाम-

राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार खेतड़ी, जिला झुन्झुनू

- रेसपोंडेंट

अपील विरुद्ध आदेश दिनांक 13.7.2018 उनवानी सरकार बनाम ईश्वर
कार्यवाही अं० धारा 91 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट मु० नं० 74/18
बअदालत तहसीलदार खेतड़ी ।

उपस्थिति:-

1. श्री संजय सैनी, एडवोकेट ---- अपीलांत की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार, राजकीय अभिभाषक ----- रेसपोंडेंट की ओर से ।

-निर्णय-

दिनांक 11.03.2019

उक्त उनवानी अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 13.07.2018 उनवानी सरकार बनाम शेरसिंह अंधारा 91 राज० लेण्ड रेवेन्यू एक्ट बअदालत तहसीलदार खेतड़ी के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं अंकित किये गये हैं कि - पटवारी हल्का रंवा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट पेश की कि ग्राम रंवा स्थित राजकीय भूमि खसरा नंबर 279 किस्म गै०मु० जोहड़ के रकबा 0.04 हैक्टर में जोत लगाकर अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है तथा यह भी आरोप लगाया है कि अपीलान्त को दिनांक 6.2.2018 व 7.2.2018 को मौके से बेदखल करने के बाद पश्चातवृत्त अतिक्रमण कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवार हल्का की रिपोर्ट दिनांक 15.6.2018 को सही मानकर प्राथी अपीलान्त को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानकर तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कहीं उल्लेख नहीं है कि इससे पहले किस निर्णय द्वारा अपीलान्त को प्रथम बार अतिक्रमी घोषित किया गया था ना ही कोई निर्णय या दस्तावेज रिकार्ड पर उपलब्ध है। पश्चातवृत्ति अतिक्रमण के मामले में पटवारी हल्का जो परिवादी है उसको यह साबित करना होगा कि फाला निर्णय में अपीलान्त को पहले अतिक्रमी घोषित किया जा चुका है, और मौके से अतिक्रमण पहले हटाया जा चुका है। पटवारी हल्का को अपने शपथ साक्ष्य प्रस्तुत करने पड़ते हैं, तथा पहले अपीलांत को पहले अतिक्रमी घोषित करने का दस्तावेज पत्रावली पर पेश कर उसे प्रदर्शित करवाना पड़ता है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करें तो ना तो पटवारी ने सशपथ बयान न्यायालय में लेखबद्ध करवाये और ना ही कोई दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये हैं। प्रथमबार अपीलांट को अतिक्रमी घोषित किया गया है, ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है जिसके अभाव में अपीलान्ट को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी घोषित नहीं किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खिलाफ एकतरफा कार्यवाही कर निर्णय पारित किया है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि उसने वादग्रस्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं किया है और ना ही कोई फसल काश्त की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया है। अंत में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.7.2018 निरस्त किया जाकर अपीलांट को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी से दोषमुक्त घोषित किया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये बताया कि— वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई अवैध अतिक्रमण नहीं है। हल्का पटवारी रवां की गलत रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना ही उक्त निर्णय पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अपीलांट को पूर्व में अतिक्रमी मानकर कब बेदखल किया गया कोई उल्लेख नहीं है और ना ही पत्रावली पर इस तरह का कोई दस्तावेज प्रस्तुत हुआ जिससे अपीलांट द्वारा पश्चातवृत्ति अतिक्रमण साबित होता हो। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी द्वारा हल्का पटवारी के सशपथ बयान लिये वगैर एवं बिना दस्तावेज प्रदर्शित करवाये सिविल कारावास से दण्डित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय विधि विरुद्ध है। अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.7.2018 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया तथा अपने कथनों के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1996 पेज 585 रामनारायण बनाम स्टेट ऑफ राज—(209) प्रस्तुत किये गये।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी ने अपीलांट द्वारा राजकीय भूमि पर पश्चातवृत्ति अतिक्रमण किये जाने के कारण विधिक प्रक्रिया के अन्तर्गत विधिसम्मत कार्यवाही की गई है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। मिसल मातहत को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी के निर्णय दिनांक 13.7.2018 का अवलोकन किया गया। एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी 1996 पेज 585 रामनारायण बनाम स्टेट ऑफ राज—(209) का ससम्मान अध्ययन किया गया। उक्त न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी की पत्रावली के अवलोकन से अपीलांट को पूर्व में मु0नं0 36/17 में किये गये बेदखली के आदेश दिनांक 13 नवम्बर 2017 एवं इस आदेश की पालना में मौके से अतिक्रमण हटाये जाने की फर्द दिनांक 6-7.2.2018 से अपीलांट द्वारा पश्चातवृत्ति अतिक्रमण साबित होता है। वादग्रस्त भूमि की किस्म गैर मु0 जोहड़ है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी का निर्णय दिनांक 13.7.2018 मुकदमा नंबर 74/2018 उनवानी सरकार बनाम शेरसिंह यथावत रखा जाता है। मिसल अधीनस्थ न्यायालय आदेश प्रति सहित लौटाई जाये। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफतर हो।

48
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 11.3.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

48
(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू